(i) passed the Subordinate Audit or Account Services (SAS) or equivalent examination conducted by any one of the organised Accounts Departments of the Central Government; or (ii) successful completion of training in Cash and Accounts work in the institute of Secretariat Training and Management or equivalent training course and a minimum of four years experience in Cash, Accounts and Budget work. **Note 1:** The departmental Senior Accountant in level-7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix with two years regular service in the level and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation, including the period of deputation in another ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/128/2016-PT/BPR&D]

W. HITLER, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 88.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल/डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल/लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल/कलावती सरन शिक्षा एवं अनुसंधान, पांडिचेरी (नर्सिंग सिस्टर एवं स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 1997 को, जहां तक उसका संबंध नर्सिंग सिस्टर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ परिचर्या अधिकारी	96* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 (47600-151100 रुपये)।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अधीन अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: कलावती सरन बाल अस्पताल में कार्य कर रहे ऐसे परिचर्या अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल या लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और	प्रतिनियुक्ति (जिसके अधीन अल्पकालिक संविदा सम्मिलित

142400 रुपये) में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; और विभाग या मंत्रालय द्वारा विहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अधीन अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन परिचारिका के रूप में कार्य करने वाले ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये) या समकक्ष में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में विज्ञान स्नातक की डिग्री (ऑनर्स); या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी. एससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम या किसी	श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. नर्सिंग अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल या लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देख रहे उप निदेशक प्रशासन - सदस्य।	है) के आधार पर नियुक्ति करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बी. एससी नर्सिंग। (iii) ख. राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स और परिचर्या मिड-वाइफ के रूप में रजिस्ट्रीकृत। (iv) (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या परिषद से सामान्य नर्सिंग मिडवाइफ में डिप्लोमा। ग. राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स और परिचर्या मिड-वाइफ के रूप में रजिस्ट्रीकृत। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अधीन अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.11018/22/2020-एमएच-II/एम. ई. अनुभाग]

गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 27th July, 2023

G.S.R. 88.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital/ Dr. Ram Manohar Lohia Hospital / Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital / Kalawati Saran Education and Research , Pondicherry (Nursing Sister and Staff Nurse) Recruitment Rules ,1997, in so far as they relate to the post of Nursing Sister, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Senior Nursing Officer, in the Kalawati Saran Children's Hospital ,New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:

1. **Short title and commencement.**– (1)These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Senior Nursing Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay-matrix**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Senior Nursing Officer.	96* (2023) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Ministerial, Non-Gazetted.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(6)	**(7)**
Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**

Promotion: Nursing Officer working in the Kalawati Saran Children's Hospital with two years of regular service in level – 7 in the pay-matrix (Rs.44900-142400) and having successfully completed mandatory training of two to four weeks in the relevant field to be prescribed by the Department or Ministry. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers working as Nurse under the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions :- (A) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualification, - (i) A. B.Sc (Hons) in Nursing from a recognised University or institute; or regular course in B.Sc Nursing from a recognised University or institute; or post basic B.Sc Nursing from a recognised University or institute. (ii) Registered as a nurse or nurse and mid-wife with the State Nursing Council ; or A Diploma in General Nursing Mid-Wife from a recognised Board or Council. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital or Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Chairman; 2. Nursing Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital or Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital , New Delhi -Member; 3. Deputy Director Administration, in charge of Medical Education Section of Directorate General of Health Services. -Member.	Consultation with Union Public Services Commission is necessary while making appointment on deputation (including short-term contract) basis.

for appointment by promotion. **Note 2:** The Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A.11018/22/2020-MH-II/M.E. Section]

GANESH KUMAR, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 89.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं, कर्मशाला कर्मचारीवृन्द शिल्पकार श्रेणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली के अधीन केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में मास्टर शिल्पकार (समूह 'ख' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं, मास्टर शिल्पकार (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** – ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर** - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता:** वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: